to tender evidence by the Maharastrians when Mysore has claimed four talukas from Maharashtra? What action has the Government of India taken against the terrorising of the tendering of evidence before the Commission?

Shri Vidya Charan Shukla: As far as the first part of the question is concerned, there is no such information with us. As far as the second part of the question is concerned, the matter is under active consideration of the Commission.

Shri K. Lakkappa: Let the hon Minister read the contents of the report he has received He will find

Mr. Speaker: He has already answered the question I do not think any purpose will be served by asking any number of questions when the report of the Commission is yet to be received. A dispute which has not been solved for 12 years cannot be solved in 12 minutes during the question hour Therefore, we will go to the next question

Some hon. Members: No, no.

Mr. Speaker: You can have a discussion, if you want. I do not mind it. But we cannot spend the whole question hour on this. We have already spent 15 minutes on this. Now, the next question.

हिन्दी का प्रयोग

\+

*934. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री ओ० पी० त्यागी :
श्री राम चरण :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संविधान के उपबंधों की भावना को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों मे हिन्दी को प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार की अनिश्चय की नीति के कारण कुछ कार्यालयो में कर्मचारियो की हिन्दी में काम करने की इच्छा में रुकावट पड़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस बाधा को दूर करने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ख) जी नही। संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढाने के लिये सन् 1966 में कुछ और कार्यवाहियां की गई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढाने के लिये 31 दिसम्बर, 1966 तक हुई प्रगति

सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी का प्रयोग :

पत्र-व्यवहार।

सरकारी संकल्पों का हिन्दी में प्रकाशन।

संसद् के सम्मुख प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों सहित प्रशासनिक रिपोर्टों का हिन्दी में प्रकाशन।

भारत के राजपत्र में छपे हुए अंशों का हिन्दी में प्रकाशन।

विभागीय फार्मों और मैनुअलों का हिन्दी में अनुवाद।

30-12-1966 तक की कार्यवाही के दौरान

हिन्दी मे प्राप्त हुए पत्रो मे से जिनके उत्तर दिये गये, उन के 80 प्रतिशत पत्रोत्तर हिन्दी मे भेजे गये।

लगभग सभी संकल्प हिन्दी मे भी प्रकाशित किये गये।

ऐसी रिपोर्टों मे से 87 प्रतिशत हिन्दी मे भी प्रकाशित की गई।

सांविधिक मामलो से संबधित भारत के राजपत्र भाग 2 को छोड़ कर सभी भाग 26 जनवरी, 1965 से हिन्दी में भी प्रकाशित किये जाते हैं।

(क) विभागीय फार्म 17,021

(ख) मैनुअल 964

ऐसे 1300 से अधिक अनुभागो में हिन्दी में टिप्पण शुरू किया गया है, जिन में अधिकतर कर्मचारी हिन्दी जानने वाले हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : गृह मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में भी इस प्रकार की चर्चा है कि सरकारी कार्यालयो मे जो कर्मचारी काम करते हैं उन का हिन्दी ज्ञान बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कुछ कक्षाएं लगाई जा रही है तो मैं जानना चाहता हू कि अब तक जिन कर्मचारियो ने यह ज्ञान प्राप्त किया है उन की संख्या कितनी है, कितना समय लगा और कितना रुपया व्यय हुआ इस के ऊपर और क्या यह सत्य है कि 2 लाख के लगभग कर्मचारियों को शिक्षा देने के बावजूद भी उन से काम नहीं लिया गया और इसलिए वह अपने उस हिन्दी ज्ञान को समाप्त करते जा रहे हैं और उस से क्या राष्ट्रीय धन और समय का अपव्यय नहीं हुआ ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक हिन्दी सीखने का सवाल है सन् 1966-67 में 37000 सरकारी कर्मचारियो ने हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना नाम उन्होंने दर्ज कराया है जब कि 1959 में केवल 16000 कर्मचारियों ने अपना नाम हिन्दी सीखने के लिए दर्ज कराया था। अभी तक 1 लाख 84 हजार लोगों ने हिन्दी के विभिन्न विभागों की शिक्षा प्राप्त की है। 6858 सरकारी अधिकारियों ने हिन्दी टाइपराइटिंग की और 1098 ने हिन्दी स्टैनोग्राफी की परीक्षा पास की है। जहां तक रुपये के व्यय का सवाल है इस समय उस की अलग-अलग जानकारी मेरे पास नहीं है यदि फिर से अलग प्रश्न पूछा जायगा तो मैं उस की जानकारी दे दूंगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आप ने मेरा प्रश्न सुना होगा। मेरा प्रश्न यह था जैसे कि मंत्री जी ने कहा कि 1 लाख 94 हजार उन की संख्या है, मेरे द्वारा उन पर होने वाले व्यय के लिए मंत्री जी कहते हैं कि दूसरा प्रश्न पूछा जाय, चलिये उस को भी छोड़िये लेकिन सवाल तो यह है कि 1 लाख 94 हजार के ऊपर जो भी लाख, करोड़ रुपया व्यय हुआ या समय व्यय हुआ उस का उपयोग क्या इन 1 लाख 84 हजार से हिन्दी में काम कराने में लिया जा रहा है या नहीं ? नहीं लिया जा रहा है तो सरकार का धन क्यों नष्ट किया जा रहा है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, 1306 सेक्शन्स जो यहां पर हैं उनमें हिन्दी में काम करने की इजाजत लोगों को दी गई है और 960 दफ्तर जो हिन्दी भाषा भाषी स्थानों में स्थित हैं वहां पर भी कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने की इजाजत दी गई है। अतः जो बहुत से कर्मचारी हिन्दी सीख चुके हैं, उन्हें काम करने की सुविधायें दी जा रही हैं। यह बात ठीक है कि जितना काम हिन्दी में हो सकता है या वह कर सकते हैं उतना अभी नहीं हो रहा है। पर इस में कठिनाइयां हैं और वह माननीय सदस्यों को मालूम है। उन कठिनाइयों के कारण पूर्ण रूप से हिन्दी में काम नहीं हो

रहा है परन्तु कोशिश हो रही है और हिन्दी में काम बढ़ता आ रहा है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहता, किन्तु फिर आप के माध्यम से उसी बात को दोहराना चाहता हूं। मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट था कि क्या जिन 1 लाख 84 हजार व्यक्तियों को हिन्दी शिक्षा दी गई उनसे काम लिया जा रहा है। मंत्री महोदय ने कह दिया कि उन को काम करने की अनुमति दे दी गई है। मेरा यह प्रश्न नहीं है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जिन को शिक्षा दी गई उन की शिक्षा का उपयोग हो रहा है या नहीं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यही बतलाने के लिये मैं ने यह संख्या दी है कि 1305 सेक्शन यहां काम करते हैं, और जो दूसरे आफिसेज हैं उन में जो लोग बैठे हुए हैं उन को हिन्दी में कार्य करने की सुविधा दी गई है जिस से जिन्होंने हिन्दी का ज्ञान प्राप्त किया है वह उस का उपयोग कर सकें। यह कहना बहुत मुश्किल है कि जिन 1 लाख 84 हजार व्यक्तियों ने हिन्दी की शिक्षा प्राप्त की है सब को काम करने का अवसर मिल रहा है। उन को हिन्दी में काम करने की सुविधा दी जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि उन को हिन्दी में काम करने की सुविधा नहीं मिल रही है या मौका नहीं मिल रहा है। हमारी कोशिश बराबर यह है कि जिन को हिन्दी का ज्ञान है उन को काम करने का अवसर मिले।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट आने के बाद राष्ट्रपति महोदय ने एक आदेश हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में जारी किया था। उन आदेशों में से कुछ आदेशों के सम्बन्ध में यह उत्तर 1967 में दिया जा रहा है कि हिन्दी पत्रों के उत्तर 80 प्रतिशत दे रहे हैं। रिपोर्टें 87 प्रतिशत प्रकाशित हो रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय ने 1960 में राजभाषा के प्रयोग के सम्बन्ध में जो आदेश दिये थे क्या कारण है कि 1967 तक भी उन आदेशों का पालन नहीं किया जाता ? क्या गृह मंत्रालय राष्ट्रपति के आदेशों की भी अवहेलना कर रहा है ? क्या राष्ट्रपति के आदेशों और संविधान सभा के निर्णयों का भी सरकार सच्चाई के साथ पालन नहीं करना चाहती है और उनकी उपेक्षा करना चाहती है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के आदेशों की उपेक्षा करने का कोई प्रश्न नहीं है। जो आदेश उन्होंने दिया है भरसक उन्हें पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है, परन्तु जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा, इन सब चीजों को लागू करने में कुछ कठिनाइयां सामने आ रही हैं सरकार के और उन कठिनाइयों को माननीय सदस्य जानते हैं कि भारत सरकार के जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं उन में सब लोगों को हिन्दी का ज्ञान नहीं है। उनको हिन्दी का ज्ञान देने का प्रयत्न किया जा रहा है। बहुतों को दे भी चुके हैं। लेकिन चूंकि बहुतों के पास हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है इस लिये जिस रूप में हम हिन्दी को लाना चाहते हैं उस रूप में ला नहीं पा रहे हैं क्योंकि इससे सरकारी काम काज में बाधा पड़ेगी और देर होगी। ऐसी बात नहीं है कि भारत सरकार इस बात को नहीं चाहती कि हिन्दी का राज भाषा के रूप में प्रयोग न किया जाये। हम चाहते हैं कि किया जाये। परन्तु इस तरह से राज भाषा के रूप में उसको इस्तेमाल करने से यदि सरकारी काम काज में बाधा पड़े और देर हो तो यह ठीक नहीं रहेगा। कुछ ऐसे अहिन्दी भाषा भाषी सरकारी कर्मचारी हैं जिनको उसका पर्याप्त ज्ञान नहीं है वह काम नहीं कर सकेंगे। यह बाधा हमारे रास्ते में है।

Mr. Speaker: The question was a bit lengthy and the reply also was lengthy.

श्री कंवर लाल गुप्त : सरकार ने यह बतलाया कि जो पत्र हिन्दी में आते हैं उनके उत्तर प्रायः हिन्दी में जाते हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौन से मंत्री हैं या मंत्रालय हैं जो सिर्फ हिन्दी में ही पत्र लिखते हैं, और कौन कौन सी राज्य सरकारें ऐसी हैं विशेषतया हिन्दी भाषा भाषी जिनके पत्र मंत्री जी के पास हिन्दी में आते हैं ? क्या आप उन्हें हिन्दी में पत्र भेजते हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक प्रथम भाग का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि मेरे मंत्रालय से स्वयं दूसरे राज्यों का पत्र हिन्दी में जाते हैं । दूसरे मंत्रालयों की सूचना मेरे पास नहीं है । जहां तक राज्य सरकारों का सवाल है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाना और दिल्ली प्रशासन से हमारा पत्र व्यवहार हिन्दी में होता है । वहां से जो पत्र हिन्दी में आते हैं भारत सरकार के पास, जहां तक हो सकता है, हम उनका उत्तर हिन्दी में देने का प्रयत्न करते हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने पूछा था कि क्या आप स्वयम् हिन्दी में पत्र लिखते हैं । इसका जवाब दिया जाय ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने कहा कि गृह मंत्रालय से हम स्वयं हिन्दी में पत्र लिखते हैं ।

Shri Hem Barua : May I know if it is a fact that some officers of the Centre, some of whose difficulties are of course genuine and some of whose difficulties spring from a psychological hostility to the use of Hindi, are opposed to the use of Hindi, if so, what steps Government have taken to chisel off their psychological edges or to remove the genuine difficulties they are confronted with?

Shri Vidya Charan Shukla: As far as the genuine difficulties are concerned, we are trying to have them removed by the Hindi teaching scheme. As far as the so-called psychological difficulties are concerned, I do not think such psychological difficulties exist, but it is a question of habit. Some people who are accustomed to the use of English find it difficult to express themselves or to do the official work in Hindi. That is the difficulty we have to remove.

श्री बापू राव अहिरवार : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को हिन्दी की शिक्षा दी गई है उन में क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जान बूझ कर हिन्दी की अवहेलना कर के अंग्रेजी को लादे रहना चाहते हैं और अपनी अड़चनें बतलाते हैं कि हिन्दी के प्रयोग में उनको कठिनाई होती है, और क्या इसीलिये हिन्दी के प्रयोग में अधिक विलम्ब हो रहा है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई अधिकारी हैं जो जान बूझ कर हिन्दी की अवहेलना करना चाहते हैं । जहां तक हिन्दी में काम करने में सुविधा का सवाल है, मैंने कहा है कि हम चाहते हैं कि हिन्दी शिक्षा योजना के द्वारा ज्यादा से ज्यादा अधिकारी हिन्दी समझें और साथ साथ हिन्दी में काम करना शुरू करें ।

श्री एस० एम० जोशी : श्री कंवर लाल गुप्ता ने जो पूछा था उसका जवाब नहीं आया कि क्या मंत्री के दफ्तर से हिन्दी में पत्र लिखना शुरू हुआ है । मैं उस के बाद दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि बिहार जैसे कई राज्यों ने केन्द्रीय दफ्तर से जो पत्र अंग्रेजी में गये उन्हें वापस भेज दिया था ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग की बात है, मैं कह चुका हूं कि गृह मंत्रालय से हम लोग स्वयम् अपनी ओर से पत्र व्यवहार कुछ राज्यों से हिन्दी में करते हैं । जहां तक बिहार सरकार का सवाल है कि उन्होंने कोई अंग्रेजी का पत्र वापस किया है या नहीं, इसके बारे में मेरे पास इस वक्त सूचना नहीं है ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : हमारे कितने मंत्री ऐसे हैं जो हिन्दी नहीं जानते हैं, और जो मंत्री हिन्दी नहीं जानते हैं उन में से कितने ऐसे हैं जो हिन्दी सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

Mr. Speaker: How can he give statistics about the ministries? If you all permit me, I will go to the next question.

Some hon. Members: No, Sir

Shri Seshiyan: In the last paragraph of the statement given by the Home Minister it has been stated:—

> "Use of Hindi for noting etc has been introduced in over 1300 sections where the bulk of the staff is Hindi knowing"

The term used there, bulk of the staff, is a very vague one I want to know as to what happens to those persons who do not know Hindi and who are working in that section, what facilities have been provided for them to work there and whether there is a persistent silent move to eject all the non Hindi-knowing people from these sections

Shri Vidya Charan Shukla: The hon Member need not have any such fear Persons, who do not know Hindi and are working in sections where Hindi nothing has been allowed, are allowed to do noting in English, and to do all their official work in English

Some hon. Members rose—

Mr. Speaker: I wonder whether so many of you can really put a question. It will take another half an hour if all of you are to be called. Let us be honest about it.

Shri Seshiyan: Sir, the question has not been properly answered. What about non-Hindi-knowing staff working in those sections? He cannot make out what is written in Hindi and he can give his reply or make his comments only in English. Therefore, unless a translation accompanies all the Hindi noting, he cannot work only with Hindi noting. That means that all the non-Hindi staff will be ejected out of the Central Secretariat. I want to get a reply to this.

Shri Vidya Charan Shukla: Enough arrangements exist in all such sections to do translation work in the sections themselves. There is no question of non-Hindi staff suffering and not understanding the Hindi noting. The translation facilities have been provided in those sections

श्री मोलहू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने हिन्दी में पत्र लिख कर भेजा है, लेकिन लार्ड मैकाले के मानस-पुत्रों ने अंग्रेजी में उत्तर दिया है। ये पत्र मेरे पास हैं। मैंने कई बार लिख कर दिया है कि विधेयकों आदि की कापियां हिन्दी में दी जायें, लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (व्यवधान)

Mr Speaker: No, no He may please sit down This is not complaint hour, this is Question Hour

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, हमारे यह सदस्य एक अरसे से कह रहे हैं कि उनको विधेयकों की हिन्दी प्रतियां नहीं मिल रही हैं, प्रश्नों के जवाब हिन्दी में नहीं मिल रहे हैं।

Mr. Speaker: I know I will call you if you want

श्री सोमचन्द सोलंकी : हमारे संविधान के अनुसार देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी होनी चाहिए, लेकिन देश के दो तीन प्रान्त इस का विरोध कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में लाने के लिए भारत सरकार क्या स्टेप ले रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये।

श्री मधु लिमये : माननीय सदस्य ने विधेयकों आदि की हिन्दी प्रतियां और पत्रों के बारे में जो कहा है, मैं उस प्रश्न को क्वश्चन आवर के बाद उठाऊंगा।